प्रतिवेदय

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय अधिकार क्षेत्र

<u>विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या- 4858-4859/2018</u>

जसमीत कौर ..... अपीलार्थी

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और एक अन्य ..... प्रत्यर्थी

साथ में

<u>विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या- 20022/2019</u>

जसमीत कौर ..... अपीलार्थी

बनाम

नवतेज सिंह ..... प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. इंदु मल्होत्रा,</u>

1. वर्त्तमान विशेष अनुमति याचिकाएं पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुई है| विशेष अनुमति याचिकाएं (आपराधिक) संख्या– 4858-4859/2018 याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर की गयी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (आपराधिक) संख्या- 725/2017 में दिनाँक 06.03.2018 और 21.05.2018 को पारित आदेश को चुनौती देने के लिये दायर की गयी है, जिसमे बच्चों को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग की हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता पत्नी द्वारा गैरकानूनी तरीके से संयुक्त राज्य अमरीका से उसकी अभिरक्षा से अगवा कर लाया गया |

विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 20022/2019 संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 ("GWA") की धारा 9 के तहत याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दायर की गई संरक्षकता याचिका से उत्पन्न हुई जिसमें नाबालिक लड़की-इशनूर अब उम्र लगभग 7 वर्ष और नाबालिक बेटा-परमवीर उम्र लगभग 2 वर्ष की स्थायी और एकल संरक्षण की मांग की हैं|

चूंकि दोनो विशेष अनुमति याचिकाएं सामान्य तथ्यों से उत्पन्न हुई है, उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है|

2. पृष्ठभूमिक तथ्य जिन पर मौजूद विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई है उन्हें संक्षेप में यहाँ नीचे दिया गया है:

2.1 प्रत्यर्थी-पति अपने अभिभावकों के साथ 1994 में जब वह 14 वर्ष का था, संयुक्त राज्य में जा बसा और पिछले 25 वर्षों से अधिक वहा स्थायी रूप से निवास कर रहा हैं और संयुक्त राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली| प्रत्यर्थी-पति संयुक्त राज्य में एक दंत चिकित्सक के तौर पर अभ्यास कर रहा हैं|

2.2 याचिकाकर्ता-पत्नी 1998 में, जब वह 17 वर्ष की थी, न्यूयार्क में हंटर कॉलेज से कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य चली गई थी| याचिककर्ता प्रत्यर्थी से वर्ष 2000 के किसी समय में मिली थी जब वह एक विद्यार्थी थी| प्रत्यर्थी से मिलने के बाद, उसने भी दन्त-चिकित्सा का कोर्स करने का निर्णय लिया और बाद में दांत-चिकित्सक में उत्तीर्ण भी हुई|

2.3 दिनाँक 22.08.2006 को दोनों पक्षों ने न्यूयॉर्क में विवाह कर लिया और न्यूयॉर्क में मैरिज लाइसेंस ब्यूरो से शादी के पंजीकरण का प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया|

दिनाँक 23.12.2007 को दोनो पक्ष भारत आये और अपने परिवारवालो की मौजूदगी में सिख रीति-रिवाज़ से अपनी शादी संपन्न की|

2.4 दोनो पक्ष अपने विवाह के निर्वाह के दौरान संयुक्त राज्य में रहे और नार्वाक के कनेक्टिकट में संयुक्त रूप से एक दन्त-चिकित्सालय 'South End Dental Clinic' शुरू किया।

दिनाँक 27.08.2012 को इस शादी से एक बेटी-इशनूर पैदा हुई और जन्म से संयुक्त राज्य की नागरिकता हासिल की।

2.5 बेटी के जन्म के बाद, याचिकाकर्ता-पत्नी ने नागरिकता के लिए आवेदन किया और अप्रैल, 2013 में संयुक्त राज्य की नागरिकता प्राप्त की।

2.6 दिनाँक 26.01.2016 को युगल अपनी बेटी-इशनूर और प्रत्यर्थी के अभिभावकों के साथ उसके भाई की शादी में भाग लेने के लिए वापसी टिकट पर नई दिल्ली आए। याचिकाकर्ता-पत्नी उस समय गर्भवती थी। दिनाँक 06.03.2016 को दोनों पक्षों का संयुक्त राज्य वापिस लौटने का निर्धारित था। मगर, याचिकाकर्ता-पत्नी ने इशनूर के साथ संयुक्त राज्य वापस लौटने से इनकार कर दिया।

जब वह भारत मे थी, उसने 15.09.2016 को नई दिल्ली में दूसरे बच्चे को जन्म दिया। चूँकि दोनों पक्ष संयुक्त राज्य के नागरिक है, नाबालिक बच्चा-परमवीर भी जन्म से अमरीका का नागरिक होगा।

3. <u>संयुक्त राज्य 14 में कार्यवाही</u>

पति ने स्टेमफोर्ड, कनेक्टिकट में संयुक्त राज्य के स्थानीय न्यायालय के समक्ष बच्चों के अभिरक्षा की मांग करते हुए संरक्षण की कार्यवाही आरम्भ की|

3.1 स्टेमफोर्ड/नार्वाक में, कनेक्टिकट राज्य के उच्च न्यायालय ने दिनाँक 17.11.2016 को एक-पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें प्रत्यर्थी-पति को दोनों बच्चों के अस्थायी संरक्षण के साथ याचिकाकर्ता-पत्नी के लिए मुलाकात के प्रयवेक्षक का अधिकार प्रदान किया|

3.2 दिनाँक 25.01.2017 को उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता-पत्नी को नाबालिक बच्चों के साथ संयुक्त राज्य लौटने का निर्देश देते हुए अंतिम आदेश पास किया और दोनों बच्चों की एकल, कानूनी और वास्तविक (प्राकृतिक) संरक्षण पति को देते हुए याचिकाकर्ता-पत्नी के लिए मुलाकात के पर्यवेक्षक का अधिकार प्रदान किया|

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जब पत्नी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी, उसे सुने जाने और बच्चों के संरक्षण जारी करने के संबंध में साक्ष्य रखने का मौका दिया जाएगा, जिसे दोनो पक्षो द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद निष्पक्ष रूप से निपटाया जाएगा|

<u>भारत मे संरक्षकता की कार्यवाही</u>

4.1 याचिकाकर्ता-पत्नी ने परिवार न्यायालय, तीस हजारी, नई दिल्ली के समक्ष संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7, 9, 11 और 25 के साथ हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम, 1956 की

धारा 6 (a) के तहत दोनो बच्चों की एकल और स्थायी संरक्षण की मांग करते हुए संरक्षकता याचिका GP संख्या 64/2016 दायर की|

4.2 प्रत्यर्थी-पति ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद को खारिज़ करने की मांग करते हुए एक आवेदन डाला|

4.3 परिवार न्यायालय ने दिनाँक 26.12.2016 के आदेश द्वारा आवेदन मंजूर करते हुए संरक्षकता याचिका खारिज़ कर दी| न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष और उनकी बेटी-इशनूर, संरक्षकता याचिका दायर करने के समय संयुक्त राज्य के 'सामान्य निवासी' थे और उनका बेटा-परमवीर जन्म से ही संयुक्त राज्य का नागरिक था, परिणामस्वरूप, वे संयुक्त राज्य के कानून द्वारा शासित होंगे|

4.4 याचिकाकर्ता-पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष परिवार न्यायालय द्वारा पारित दिनाँक 26.12.2016 के आदेश को चुनौती देते हुए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत वैवाहिक अपील (F.C.) संख्या 3/2017 दायर की|

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनाँक 19.09.2017 के आदेश द्वारा अपील को खारिज़ कर दिया और कहा कि बच्चों की संरक्षकता का मुद्दा उस न्यायालय द्वारा तय किया जाना चाहिए जिसका बच्चों के साथ निकटतम संबंध हो जोकि संयुक्त राज्य के न्यायालय है|

4.5 असंतुष्ट याचिकाकर्ता-पत्नी ने दिनाँक 19.09.2017 के निर्णय को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील संख्या– 2291/2018 दायर की|

4.6 इस न्यायालय ने दिनाँक 20.2.2018 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दायर की गई दीवानी अपील को मंजूर किया और आदेश 7 नियम 11 के तहत पारित आदेश को खारिज़ कर दिया| इस मुक़दमे को योग्यता के आधार पर फैसले करने के लिये परिवार न्यायालय को प्रेषित किया गया था|

4.7 दिनाँक 20.08.2018 के आदेश द्वारा परिवार न्यायालय ने फैसला दिया कि संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका पर विचार करने का भारतीय न्यायालयों को कोई अधिकार क्षेत्र नही होगा|

परिवार न्यायालय ने फैसला दिया कि याचिकाकर्ता-पत्नी एक अमरीकी नागरिक थी| उसके पास भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड (OCI) के साथ एक अमरीकी पासपोर्ट था| नाबालिक लड़की-इशनूर के पास भी अमरीकी पासपोर्ट था| याचिकाकर्ता-पत्नी का भारत मे लंबे समय तक रहने के कारण, बेटी का पासपोर्ट अक्टूबर 2017 में समाप्त हो गया, जिसके बाद उसका नवीनीकरण नही कराया गया| जहा तक बेटे का सवाल है, याचिकाकर्ता-पत्नी ने संयुक्त राज्य का पासपोर्ट प्राप्त नहीं किया था जबकि वह जन्म से ही एक अमरीकी नागरिक था| दोनो बच्चों के भारत में अपने रुकने के लिये कोई वैध दस्तावेज़ नही थे| चूंकि, बच्चे आप्रवास कानून का उल्लंघन करते हुए

भारत मे रह रहे थे, वह संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त भारत के 'सामान्य निवासी' के दायरे में नही आयेंगे|

संरक्षकता देने के मुद्दे पर, परिवार न्यायालय ने कहा कि बच्चों का सर्वोपरि हित दोनो पक्षों द्वारा संयुक्त राज्य में साझा पालन-पोषण में है और याचिकाकर्ता-पत्नी बच्चों की एकल संरक्षण की हकदार नही थी|

अधिकार-क्षेत्र के संबंध में, परिवार न्यायालय ने कहा कि भारतीय न्यायालयों को संरक्षकता याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नही है|

असंतुष्ट याचिकाकर्ता-पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष परिवार न्यायालय द्वारा दिनाँक 20.08.2018 को दिये गए आदेश के खिलाफ़ वैवाहिक अपील (FC) संख्या 244/2018 दायर की| उच्च न्यायालय ने दिनाँक 01.07.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपील को खारिज़ कर दिया|

उच्च न्यायालय ने कहा कि हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 को संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 को अधिभूत नही करता जो कि दूसरे का पूरक है| संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 यह प्रदत्त करती है कि बच्चा जहाँ 'सामान्य निवास' करता है, उसी न्यायालय को संरक्षण और अभिरक्षा के मुद्दे पर फ़ैसला देने का अधिकार-क्षेत्र होगा|

उच्च न्यायालय ने इस पर ज़ोर दिया कि याचिकाकर्ता-पत्नी ने संयुक्त राज्य में संम्पत्तियाँ खरीदी थी और 2012 में संयुक्त राज्य की नागरिकता के लिए आवेदन किया था जो 2013 में उसे प्रदान कर दी गयी और जिसका समर्पण आज तक नही किया गया था। यह तथ्य दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता-पत्नी की भारत को अपना स्थायी घर बनाने की कोई मंशा नही थी।

पक्षों का आचरण यह दर्शाता है कि उन्होंने भारत मे अपने मूलअधिवास को त्याग दिया था और इस प्रकार, भारत मे 'सामान्य निवासी' नही कहलाये जा सकते थे। परिणामस्वरूप, संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 के की याचिका पर विचार करने का दिल्ली की न्यायालयों को कोई अधिकार-क्षेत्र नही है।

न्यायालय ने कहा कि नाबालिक लड़की-इशनूर के लिए अमरीका का जीवन और माहौल का आदी होना मुश्किल नही होगा, क्योंकि वह 7 साल की थी और अपने जीवन के प्रारंभिक 4 वर्ष उसने संयुक्त राज्य में ही व्यतीत किये थे। एक बार उसने संयुक्त राज्य में स्कूल जाना शुरू कर दिया तो वह खुद को उस देश के लिये ढाल लेगी। नाबालिक बेटा-परमवीर 2 वर्ष से कुछ ज्यादा होने के कारण संयुक्त राज्य की जीवन-शैली और रीति-रिवाजों को अपनाने की स्थिति में होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह वो मुकदमा नही है जहाँ बच्चे बड़े हो गए हो और खुद को भारत मे बसा लिया हो। बच्चों की भलाई

दोनों अभिभावकों द्वारा संयुक्त राज्य में साँझा परवरिश में है, जो कि संभव नही थी अगर पत्नी भारत में बच्चों का एकल संरक्षण रखती|

उच्च न्यायालय के वैवाहिक अपील (FC) संख्या 244/2018 को खारिज़ करने के दिनाँक 01.07.2019 के निर्णय व आदेश को याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 20022-2019 के माध्यम से चुनौती दी है|

5 **<u>भारत मे बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही</u>**

5.1 बच्चों के संरक्षण से संबंधित पहले चरण की मुकदमेबाज़ी खारिज़ होने के बाद, प्रत्यर्थी-पति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता-पत्नी को नाबालिक बच्चों-इशनूर और परमवीर को उनके संयुक्त राज्य के पासपोर्ट के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा देने की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट ज़ारी करने के लिए रिट याचिका (फौजदारी) संख्या 725/2017 दायर की| प्रत्यर्थी-पति ने आगे प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय उसे नाबालिक बच्चों को उसके साथ संयुक्त राज्य ले जाने की अनुमति प्रदान करे|

उच्च न्यायालय ने दिनाँक 06.03.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर कर लिया एवं याचिकाकर्ता-पत्नी को तीन सप्ताह के भीतर दोनो नाबालिक बच्चों के साथ संयुक्त राज्य वापिस लौट जाने का निर्देश दिया|

पक्षों के आचरण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मूलअधिवास यानि भारत को त्याग दिया था और अपना वैवाहिक घर संयुक्त राज्य में बना लिया था और अपनी बेटी की उसी माहौल में परवरिश की। जब याचिकाकर्ता-पत्नी ने जनवरी 2016 में संयुक्त राज्य वापस न लौटने का फ़ैसला लिया था तो यह अपने स्वहित में काम कर रही थी न कि अपने बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित में।

उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चों का अधिकार है कि उनकी परवरिश संयुक्त राज्य में एक परिवार की तरह दोनो अभिभावकों द्वारा की जाए। यह बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित मे है कि याचिकाकर्ता-पत्नी संयुक्त राज्य वापिस लौट जाए।

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-पति को यह निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि एक बार जब याचिकाकर्ता-पत्नी संयुक्त राज्य वापिस लौटे, तो उसे प्रत्यर्थी-पति या अमरीकी कानूनी व्यवस्था द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई या विरोध को न झेलना पड़े।

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-पति को दिनाँक 17.11.2016 और 25.01.2017 को पारित आदेशों को प्रत्याहवन करवाने के लिये उच्च न्यायालय, न्यायिक ज़िला स्टैमफोर्ड, नार्वाक में पेश होने के लिये निर्देशित किया जिसमें याचिकाकर्ता-पत्नी को प्रत्यर्थी-पति को नाबालिक बच्चों की अस्थायी वास्तविक (प्राकृतिक) और कानूनी संरक्षण देने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके अलावा,

जब याचिकाकर्ता-पत्नी दोनों नाबालिक बच्चों के साथ संयुक्त राज्य लौटेंगी तब उन्हें उसके संरक्षण से अलग नही किया जाएगा।

दोनों नाबालिक बच्चें याचिकाकर्ता-पत्नी के संयुक्त राज्य लौटने के बाद भी उसके संरक्षण में लगातार बने रहेंगे जब तक कि संयुक्त राज्य में सक्षम न्यायालय दोनों पक्षों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद, बच्चों की अस्थायी/स्थायी संरक्षण के पहलू पर नए आदेश पारित नही कर देती। प्रत्यर्थी-पति याचिकाकर्ता-पत्नी के संरक्षण से नाबालिक बच्चों को बलपूर्वक ले जाने का कोई प्रयास नही करेगा। हालांकि, प्रत्यर्थी-पति बच्चों से मिलने का और उनके साथ समय बिताने का हक़दार होगा जैसाकि दोनों पक्षों के बीच आपसी रज़ामंदी हो।

प्रत्यर्थी-पति ने संयुक्त राज्य में पत्नी के ख़िलाफ कोई भी फौजदारी/अवमानना कार्यवाही की शुरुआत न करने का दायित्व लिया।

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-पति को दिनाँक 06.03.2018 को पारित आदेश में उल्लिखित परिस्थितियों की शर्तों के सम्बन्ध में दायित्व का शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया।

5.2 उच्च न्यायालय द्वारा 06.03.2018 को पारित आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी-पति ने निम्नलिखित कदम उठाए:-

a) यहाँ ऊपर कहे गये निर्देशों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनाँक 21.03.2018 को वचन शपथपत्र प्रस्तुत किया|

b) प्रत्यर्थी ने स्टैमफोर्ड के उच्च न्यायालय से दिनाँक 14.05.2018 को एक आदेश प्राप्त किया जिसके सक्रिय अंश को यहाँ नीचे उद्धरण किया गया है:

"1. वादी के पक्ष में एकल वास्तविक (प्राकृतिक) और कानूनी संरक्षण के पूर्व आदेशों को प्रस्तुत किया जाएगा|

2. पूर्व आदेश यथावत रहेंगे जैसेकि जसमीत कौर नाबालिक बच्चों के साथ तुरंत कनेक्टिकट वापिस लौटे|

3. नाबालिग बच्चे जसमीत कौर के संरक्षण में ही रहेँगे| वादी, जसमीत कौर के नाबालिग बच्चों के साथ कनेक्टिकट वापिस आने पर सहमति से अथवा जैसा न्यायालय आदेश दे, नाबालिग बच्चों के साथ उचित अंतरिम मुलाकात कर पायेगा जब तक कि कन्निकट उच्च न्यायालय दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अग्रिम अभिरक्षा आदेश न पारित किये जाये |

4. वादी का वचन शपथपत्र इस बात की पुष्टि करते हुए कि कैसे उसने दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 06.03.2018 के आदेश में अपने आचरण की पुष्टि की है, आदेश के लिए प्रस्ताव (प्रदर्श 2 की पंक्ति 2) में प्रदर्श B के रूप में स्वीकृत एवं आदेशित है|

न्यायवादी विलियम टेलर को आदेश के लिए प्रस्ताव (प्रदर्श 2 की पंक्ति 3) के प्रदर्श C के अनुसार निलंब प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।

c) प्रत्यर्थी ने भुगतान शर्तों के सुनिश्चित अनुपालन के लिए 25000 अमरीकी डॉलर की राशि निलंब खाते में जमा करा दी। यह खाता स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट संयुक्त राज्य अमरीका में संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के अनुसार संचालित किया जाएगा जहाँ दोनों पक्षों के बीच मामला लंबित था।

5.3 उच्च न्यायालय ने दिनाँक 21.05.2018 के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता-पत्नी को 3 सप्ताह के भीतर दोनों बच्चों के साथ संयुक्त राज्य वापिस लौटने का निर्देश दिया, जिसके न होने पर, बच्चें उनके संबंधित पासपोर्ट के साथ प्रत्यर्थी-पति को सौंप दिए जाएंगे।

5.4 याचिकाकर्ता-पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पारित दिनाँक 06.03.2018 और 21.05.2018 के आदेशों को विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4858-59/2018 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।

6. हमनें याचिकाकर्ता-पत्नी के लिए पेश हो रही विद्वान अधिवक्ता कुमारी मालविका राजकोटिया और प्रत्यर्थी-पति के लिए पेश हो रहे विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल मल्होत्रा को सुना।

6.1 इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान याचिकाकर्ता-पत्नी अपने नाबालिक बच्चों के साथ संयुक्त राज्य वापिस लौटने पर राज़ी हो गयी।

इन परिस्थितियों में, हम अधिकार-क्षेत्र के मुद्दे को नही छेड़ेंगे।

7. हमने दोनों पक्षों का नाबालिक बच्चों के साथ हमारे समक्ष पेश होने के लिये यह मामला 10.12.2019 को कक्ष में सुनवाई के लिए प्रेषित किया। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी ने इस आदेश द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पढ़ा और उस पर सहमत हुए।

हम निर्देश देते है कि दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं को निम्न निर्देशों के साथ निपटारा किया जाये:

i. दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अपनी बेटी- इशनूर के संयुक्त राज्य पासपोर्ट को नवीनीकरण करवाने के लिए और अपने बेटे- परमवीर के लिए अमरीकी पासपोर्ट ज़ारी करने के लिये अमरीकी दूतावास में आवेदन करेंगे।

ii. याचिकाकर्ता-पत्नी अपने दोनों नाबालिग बच्चों- इशनूर और परमवीर के साथ, दोनों बच्चों के पासपोर्ट जारी होने के दो सप्ताहों के भीतर नार्वाक, कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमरीका लौट जाएगी।

अगर याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो बच्चें प्रत्यर्थी-पति को सौंप दिए जाएंगे जो उन्हें वापिस संयुक्त राज्य ले जाएगा।

iii. प्रत्यर्थी-पति ने पेशकश की कि अगर संयुक्त राज्य वापसी पर याचिकाकर्ता-पत्नी चाहे, नार्वाक, कनेक्टिकट में ससुराल लौट सकती है।

यदि याचिकाकर्ता-पत्नी फिर भी अकेले रहना पसंद करती है, तो प्रत्यर्थी-पति, याचिकाकर्ता-पत्नी को नार्वाक, कनेक्टिकट में सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ सुविधाजनक रहने की जगह उपलब्ध करवाएगा।

विकल्प के तौर पर, याचिकाकर्ता-पत्नी नार्वाक, कनेक्टिकट के आस-पास के क्षेत्र में सुविधाजनक रहने की जगह ढूंढ सकती है ताकि प्रत्यर्थी-पति बच्चों तक पहुँच सके।

iv. याचिकाकर्ता-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति को हर सप्ताहांत मुलाकात और अनुपयोगी पहुँच ने करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनकी व्यवस्था संयुक्त राज्य में सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

v. प्रत्यर्थी-पति ने यह पेशकश की कि याचिकाकर्ता-पत्नी अपनी संयुक्त राज्य वापसी पर स्टैमफोर्ड में उनके संयुक्त चिकित्साल्य- साउथ एन्ड दंत चिकित्साल्य में दंत चिकित्सा का अभ्यास जारी रख सकती है।

अगर याचिकाकर्ता-पत्नी, प्रत्यर्थी-पति के साथ उनके चिकित्साल्य पर संयुक्त अभ्यास में इच्छुक न हो तो दोनों पक्ष संपत्तियों को बराबर से विभाजित करने के लिए कदम उठा सकते है। संपत्तियों का बटवारा 4 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए।

vi. प्रत्यर्थी-पति बच्चों का आस-पास के प्रतिष्ठित विद्यालयों में दाखिले के लिए कदम उठाएगा|

vii. प्रत्यर्थी-पति याचिकाकर्ता-पत्नी को निम्नलिखित खर्चे उपलब्ध कराने के लिए राज़ी हो गया:

1	लगभग 2000 डॉलर	किराये के लिए
2	1000 डॉलर	खाना/कपड़े/अन्य जरूरतों के लिए
3	1000 डॉलर	बच्चों की देखभाल/दाई के लिए
4	200 डॉलर	गाड़ी के खर्चे के लिए
5	100 डॉलर	ईंधन के खर्चे के लिए
6	454.85 डॉलर	पत्नी के स्वास्थ्य बीमा के लिए
7	281.07 डॉलर	नाबालिक बेटी-इशनूर के स्वास्थ्य बीमा के लिए
8	281.07 डॉलर	नाबालिक बेटे- परमवीर के स्वास्थ्य बीमा के लिए
9	899 डॉलर	इशनूर की प्री-स्कूल फीस के लिए
10	1500 डॉलर	कानूनी ख़र्चे के लिए

हालाँकि ऊपर बताया गया खर्च लगभग 7,715 अमरीकी डॉलर है, हमने याचिकाकर्ता-पत्नी को उसके सभी खर्चे पूरे करने के लिए लगभग 8000 अमरीकी डॉलर देने का निर्देश दिया है|

इन खर्चों का भुगतान अधिकतम 12 महीनों के लिये किया जाएगा या जब तक कि याचिकाकर्ता-पत्नी को संयुक्त राज्य में रोज़गार नही मिल जाता और संपत्ति का विभाजन नही हो जाता, जो भी पहले हो।

निलंब खाते में प्रत्यर्थी-पति द्वारा जमानत के तौर पर जमा की गई धनराशि, इस समयावधि के दौरान भुगतान शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। निलंब खाता संयुक्त राज्य में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अनुसार संचालित होगा।

viii. संपत्तियों के बंटवारे के बाद, दोनों पक्ष बच्चों की शिक्षा और परवरिश का खर्च समान रूप से बाटेंगे।

ix. हमें सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति के खिलाफ परिवार न्यायालय, तीस हजारी, नई दिल्ली के समक्ष तलाक की कार्यवाही शुरू की है। याचिकाकर्ता-पत्नी इस आदेश के दो सप्ताहों के भीतर तलाक की कार्यवाही को वापिस लेने के लिए सहमत हो गयी हैं।

ऊपर उल्लेखित शर्तों के अनुसार विशेष अनुमति याचिकाएं निपटाई जाती है।

..... न्यायमूर्ति
(उदय उमेश ललित)

..... न्यायमूर्ति
(इंदु मल्होत्रा)

नई दिल्ली

दिनाँक : 12 दिसम्बर, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|